

पंजीकरण
प्रारम्भ
28 अप्रैल 2016
से
31 मई 2016
तक

पंजीकरण पुस्तिका

स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत

शाहाबाद योजना शाहाबाद, जनपद- हरदोई
में विभिन्न प्रकार के भवन पाने का

सुनहला अवसर

कार्यालय प्रयोग हेतु



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail: upavp@sancharnet.in





योजना के विशेष आकर्षण

- “शाहाबाद योजना, शाहाबाद” लखनऊ-पलिया राज मार्ग पर स्थित है, यह योजना जनपद हरदोई के मुख्यालय से, शाहजहाँपुर रोड पर लगभग 35 किमी० की दूरी पर स्थित है।
- “शाहाबाद योजना शाहाबाद” तहसील मुख्यालय शाहाबाद में पूर्व से संचालित है एवं लोकप्रिय योजना है।
- “शाहाबाद योजना, शाहाबाद” नगर पालिका परिषद शाहाबाद की सीमान्तर्गत स्थित है।





एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्प्लेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्को तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित पात्रता सूची के आधार पर किया जायेगा।





स्व-वित्त पोषित योजना 2016

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा शाहाबाद योजना शाहाबाद जनपद हरदोई में उल्लिखित विवरण के अनुसार आवासीय सेमी फिनिशड भवनों के लिए "स्व-वित्त पोषित योजना-2016" के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 28 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक आमंत्रित किये जा रहे हैं।

"स्व-वित्त पोषित योजना-2016" के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सेमी फिनिशड भवनों का प्रकार, लागत, पंजीकरण धनराशि योजना आदि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत सेमी फिनिशड भवनों का विवरण

1. शाहाबाद योजना शाहाबाद जनपद हरदोई।

क्र. सं.	योजना का नाम/संख्या	भवनों का प्रकार सेमी फिनिशड	प्रस्तावित भवनों की संख्या	भवनों का अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
1	शाहाबाद योजना शाहाबाद	18 / 40	33	5.80	0.30
2	शाहाबाद योजना शाहाबाद	45 / 75	38	11.40	0.60
3	शाहाबाद योजना शाहाबाद	53 / 127	13	16.35	0.85

नोट:- एक मंजिले सेमी फिनिशड भवनों की फिनिशिंग में निम्न कार्य ही कराया जाएगा :

- बाहर की फिनिशिंग।
- भवन के अन्दर प्लास्टर (टायलेट एवं किचन को छोड़कर)।
- बिजली हेतु छत में कन्ड्यूट पाईप डाले जायेंगे, वायरिंग एवं अन्य फिटिंग फिक्चर्स आवंटी द्वारा स्वयं लगाने होंगे।
- बाहरी दरवाजे।
- खिड़कियों में ग्रिल (बिना पल्ले के)।





नोट

- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आवंटी को भुगतान करना होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कमी / वृद्धि हो सकती है।
- कार्नर की सम्पत्तियों पर भूमि मूल्य का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
- सम्पत्ति का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में पंजीकरण पात्रता चयन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता चयन झा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु आवंटन तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा। सम्पत्ति के सूचित अनुमानित मूल्य में, बाजार दर में वृद्धि होने पर बढोत्तरी संभावित है।

महत्वपूर्ण नोट

- स्व वित्त पोषित योजना 2016 के पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने का काम उल्लिखित बैंकों द्वारा किया जायेगा।

स्व-वित्त पोषित सेमी फिनिशड भवनों के पंजीकरण हेतु

- बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर का "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हरदोई" के नाम देय होगा।





सामान्य सूचनायें

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 यथा संशोधित जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियमावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली, समय-समय पर जारी आदेशों एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

- 1-1 भूमि का मूल्य भवन आवंटन के समय सम्बन्धित योजना की प्रचलित भूमि दर के आधार पर लिया जायेगा।
- 1-2 भवनों की लागत अनुमानित है। वास्तविक मूल्य अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर देय होगा। जो घट-बढ़ सकती हैं
- 1-3 भवनों के प्रस्तावित स्केच डिजाइन प्लान पुस्तिका में संलग्न है।

(2) आवश्यक सेवायें एवं सार्वजनिक सुविधायें:-

- 2-1 परिषद द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं में सभी आवश्यक सुविधायें जैसे पाईप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति, पक्की सड़कों का निर्माण, बरसाती नालियों एवं पुलियों का निर्माण, पार्कों का विकास एवं वृक्षारोपण, वाह्य विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था आदि का प्राविधान किया जाता है।
- 2-2 योजना के आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था अथवा प्राविधान किया जाता है।

(3) भवन के प्रकार, डिजाइन आदि:-

विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लान, डिजाइन, पुस्तिका में अलग से दर्शाये गये हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करें। सम्बन्धित कार्यालय के अन्तिम भाग में दिया गया है।





(4) पंजीकरण पुस्तिका अंकित बैंक/स्थान से प्राप्त की जा सकती है तथा सम्मुख अंकित बैंक में पंजीकरण धनराशि सहित आवेदन पत्र जमा करना होगा।

(5) आवेदन करने का तरीका:-

5-1 इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन-पत्र तथा चालान की चारों प्रतियाँ भरकर पंजीकरण की निर्धारित धनराशि का नगद भुगतान अथवा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्बन्धित शहर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट निर्दिष्ट बैंक में अन्तिम तिथि तक जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति बैंक द्वारा हस्ताक्षरित कर मोहर लगाकर आपको वापस कर दी जायेगी। इसे सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें।

5-2 इस पुस्तिका में प्रस्तुत तालिका में योजना तथा शहर का नाम, कोड संख्या एवं सम्पत्ति का प्रकार अंकित हैं आवेदन फार्म पर कोड सावधानी से अंकित करें।

5-3 पंजीकरण की धनराशि सम्बन्धित बैंक में केवल नगद भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।

5-4 अपूर्ण एवं सशर्त तथा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अ) स्व-वित्त पोषित सेमी फिनिशड भवनों के नियम व शर्तें:-

(6) पंजीकरण हेतु पात्रता:-

6-1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

6-2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र भरते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

6-3 स्व-वित्त पोषित श्रेणी के भवनों हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

6-4 प्रदेश के किसी अन्य नगर व शहरी क्षेत्र में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए। जिस नगर में भवन हेतु आवेदन किया जा रहा है उसमें आवेदक, उनकी पति/पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के नाम कोई आवासीय सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए।





6-5 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास इस समय तथा भविष्य में भी परिषद द्वारा आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए "अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन उक्ट-1976" में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए।

(7) पंजीकरण नियम -

- 7-1 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7-2 यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भवनों से अधिक होगी तो पात्र आवेदकों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा। पात्रता चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 7-3 यदि कोई आवेदक पंजीकरण के उपरान्त पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा अथवा मांग-पत्र (जो भी पहले हो) जारी होने से पहले अपनी जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसे बिना कटौती यह धनराशि रिफण्ड बाउचर भरकर आवेदन करने पर वापस कर दी जायेगी, परन्तु उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- 7-4 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात अथवा मांग पत्र (जो भी पहले हो) जारी होने के तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।





- 7-5 यदि कोई आवेदक सम्पूर्ण किशतों का भुगतान करने के उपरान्त भवन का मूल्य सूचित मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाने के कारण भवन नहीं लेता है तो आवेदन करने पर सम्पूर्ण जमा धनराशि बिना ब्याज, बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी
- 7-6 यदि किसी योजना में निर्माण न हो पाने के कारण किसी पंजीकृत आवेदक को अन्तिम किशत जमा करने के छः माह बाद तक परिषद भवन आवंटित नहीं कर पाती है। तो आवेदक की जमा धनराशि अन्तिम किशत जमा करने के आगामी माह से धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक नियमानुसार ब्याज सहित वापस दी जायेगी।
- 7-7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित नहीं हो पाती है। तो आवेदन करने पर पंजीकृत आवेदक की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। एक वर्ष से अधिक अवधि तक धनराशि परिषद खाते में रहने पर ही ब्याज देय होगा।
- 7-8 यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय तथ्यों को छिपाया जाता है। तो उसका पंजीकरण किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और किसी भी आवंटन में उसे शामिल नहीं किया जायेगा तथा पंजीकरण की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 7-9 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता झा में आरक्षण की सुविधा प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 7-10 यदि किसी आवेदक द्वारा ऋण सुविधा प्राप्त की गयी है तो उसे रिफण्ड हेतु संस्था से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 7-11 जमा धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदक को पुस्तिका में संलग्न रिफण्ड वाउचर की प्रविष्टियाँ पूर्ण करते हुए बिन्दु 7-4 में उल्लिखित प्रपत्रों को संलग्न करते हुए आवेदन करना होगा।
- 7-12 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को परिषद भवन देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।





(8) भुगतान का तरीका

- 8-1 अनुमानित मूल्य में से पंजीकरण धनराशि घटाने के उपरान्त शेष धनराशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त में 40% तथा अन्य 3 किश्तों में 20% धनराशि प्रति किश्त देय होगी।
- 8-2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में पंजीकरण के बाद पात्रता चयन होने पर जारी होने वाले मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 8-3 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 3 माह होगी। परिषद् नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ-साथ अतिरिक्त ब्याज देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा।
- 8-4 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी बिन्दु 7-4 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
- 8-5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान सूचित बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर में देय हो, माँग-पत्र में सूचित बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम भवन श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।
- 8-6 निर्माण के पश्चात विक्रय मूल्य, क्षेत्रफल आदि में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसका समायोजन निर्धारित किश्तों के जमा होने के उपरान्त अन्तिम भुगतान के समय किया जायेगा।





(9) आवंटन नियम:-

- 9-1 सामान्यतः पंजीकृत सभी व्यक्तियों को आवास आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा। पंजीकरण पात्रता झा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पन्न करा लिया जायेगा।
- 9-2 किसी विशेष श्रेणी के लिए इस योजना मे पंजीकृत सभी आवेदक पंजीकरण नियम 7-2 के प्राविधानों के अनुसार समतुल्य समझे जायेगें। भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी झा के पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा लिखित सहमति दिये जाने पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार गुपिंग की भी सुविधा दी जा सकती हैं।
- 9-3 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आंवटित भवन का परिवर्तन नही किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों मे व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित भवन का परिवर्तन नियमानुसार रिक्ति के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता हैं यह परिवर्तन भवन का विलेख-निष्पादन एवं कब्जा लेने से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 9-4 भवनों का आवंटन "जैसा है जहाँ है" के आधार पर होगा। प्रदेशन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा। जो व्यक्ति किसी कारणवश प्रदेशन स्वीकार नहीं करते और यथाविधि आवेदन करने पर आवास आयुक्त द्वारा उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। तो पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि काटकर शेष बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 9-5 आवंटित भवन का विक्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समय-समय पर परिषद् द्वारा जो नियम अनुमन्य होंगे। इस योजना के आवंटियों पर भी लागू होंगे।
- 9-6 भवन शासनादेशों/पदिषदादेशों के अनुरूप फ्री-होल्ड के रूप में आवंटित किया जायेगा।
- 9-7 योजना मे किसी आवेदक को पंजीकृत किए जाने आदि से सम्बन्धित किसी भी मामले मे आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका मे वर्णित किन्ही भी शर्तों को शिथिल किए जाने अथवा परिषद् हति मे अन्यथा निर्णय लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा।





(10) अन्य महत्वपूर्ण सूचना:-

- 10-1 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को मान्य होगा।
- 10-2 प्रस्तावित भवनों की स्थिति, उनकी संख्या, कुल क्षेत्रफल, भूखण्ड का आकार, मूल्य एवं निर्माण कार्य पूरा होने का समय अनन्तिम (प्रोविजनल) है। इसमें कभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं। भवन निर्माण के पश्चात परिषद द्वारा निर्धारित अन्तिम मूल्य ही आवंटी को मान्य होगा।
- 10-3 भवनों के कुल विक्रय मूल्य में मानक क्षेत्रफल का भूमि मूल्य एवं निर्माण की अनुमानित लागत शामिल है। भूमि मूल्य पर नियमानुसार फ्री होल्ड शुल्क देय होगा। आवंटी को भवन में समाहित भूमि का क्षेत्रफल मानक क्षेत्रफल से अधिक होने पर तदनुसार भूमि मूल्य देय होगा। कार्नर की सम्पत्तियों में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज भी देय होगा।
- 10-4 आवंटी को भवन का कब्जा पूर्ण भुगतान एवं आवश्यक विलेखों के निष्पादन के बाद दिया जायेगा। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी को समस्त करों का भुगतान स्वयं करना होगा। आवंटी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कब्जा न लिए जाने पर परिषद द्वारा सम्पत्ति की देखभाल एवं रखरखाव हेतु जो शुल्क निर्धारित किया जायेगा। वह परिषद द्वारा निर्धारित दर से शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
- 10-5 यदि आवंटी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके भवन का कब्जा आवंटन के 6 माह में नहीं लिया जाता है तो उसका आवंटन पंजीकरण की धनराशि का 50 प्रतिशत काट करके निरस्त कर दिया जायेगा, शेष धनराशि बिना ब्याज नियमानुसार आवेदन करने पर वापस कर दी जायेगी।
- 10-6 भवन का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा भवन में अतिरिक्त निर्माण बिना परिषद की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन बिन्दु 10-5 के अनुसार कटौती करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा परिषद द्वारा वापस ले लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के आदेश आवंटी को मान्य होंगे।





अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें -

1. प्रश्नगत योजना के भवन आवासीय है अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आबंटी को सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन परिषद से बिना पूर्व अनुमति के अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं पंजीकरण, आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आबंटी पर प्रभावी होंगे।
2. यदि आबंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/ सम्पत्ति परिवर्तन करने हेतु परिषद नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेम्निटी बॉड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
3. आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
4. पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
5. किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आबंटी को करना होगा।
6. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र हरदोई होगा।
7. सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता झा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर बढ़ोतरी सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।





9. वाद-विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

तथ्यों का ठिपाना -

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आबंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।





**बैंक शाखाओं के नाम व पते
जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र
(पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।**

पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि : 31 मई 2016

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं०
1.	बैंक ऑफ इण्डिया	लखनऊ (नोडल ब्रांच), मोहिनी मेंशन, पो0बाक्स नं०170, 1-नवल किशोर रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226 001 जिला-हरदोई (उ०प्र०), पिन- 241124	श्रीमती पुष्पा चौधरी	0522-4082242 lucknowbr.lucknow@bankofindia.co.in
2.	बैंक ऑफ इण्डिया	शाहाबाद, मोहल्ला-चौक, शाहाबाद, उत्तर प्रदेश-241 124	श्री किरन पाल	05853-260259 / 53 shahabad.lucknow@bankofindia.co.in
3.	बैंक ऑफ इण्डिया	हरदोई, सरकुलर रोड रेलवेगंज, हरदोई, उ०प्र०-241001	श्री आर. के. सिन्हा	05852-222092, 222093 hardoi.lucknow@bankofindia.co.in
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	संडीला, उत्तर प्रदेश-241204	श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव	05854-271053 sandila.lucknow@bankofindia.co.in
5.	बैंक ऑफ इण्डिया	दुबग्गा, लखनऊ, अवध प्लाजा, हरदोई रोड दुबग्गा, लखनऊ, उ०प्र०-221107	श्री रियासत हुसैन	0522-2407515 dubagga.lucknow@bankofindia.co.in

-: महत्वपूर्ण नोट :-

1. स्व वित्त पोषित पंजीकरण योजना 2016 की पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त बैंक से किया जायेगा।
2. पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग से 300/- रूपये में लखनऊ से प्राप्त की जा सकती हैं
3. शाहाबाद योजना, हरदोई की सम्पत्ति हेतु देय बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद हरदोई" के नाम देय होगा।

**उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।**





आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के भवनों/भूखण्डों में आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	- तदैव -
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	- तदैव -
4.	विधायक/सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण-पत्र
10.	परिषद योजना द्वारा उसी योजना में विस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण दौर के बावजूद आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से निर्धारित प्रमाण-पत्र, संलग्न करने पर विस्थापित को दी जायेगी अथवा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल का भूखण्ड/भवन दिया जायेगा अथवा यथा निर्धारित वांछित श्रेणी की एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।





--: नोट :-

1. आरक्षण चार्ट के क्रमांक - 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।
2. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार शासन/परिषद के पास सुरक्षित है।
3. विशेष श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों में प्रतिबन्ध यह है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी। यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित सम्पत्तियों की संख्या से कम होती है तो कोटा संविलियन के पश्चात् भी शेष रहने वाली सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को अथवा यथा निर्धारित आवंटित कर दिया जायेगा।

विस्थापितों के लिए प्राविधान

विस्थापित को परिषद/शासनादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना में अधिग्रहीत किया गया हो। विस्थापित आवेदकों के संबंध में निर्णायक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।





मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां—जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार -

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय -

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन -

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति -

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा -

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना)-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिय पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये यह संख्या विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-

उ.प्र.राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।





स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य-

सेवारत / सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य-

उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।





आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

शहर	कोड सं०	हारिजेन्टल आरक्षण	कोड सं०
हरदोई	113	विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F
योजना	कोड सं०	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
शाहबाद योजना शाहाबाद	172	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
सम्पत्ति श्रेणी (भवन)	कोड सं०	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
18 / 40 सेमी फिनिस्ड	R4-A	समाज के विकलांग व्यक्ति	D
45 / 75 सेमी फिनिस्ड	R5	वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
53 / 127 सेमी फिनिस्ड	R5-D	विस्थापित	W
लिंग	कोड सं०		
स्त्री	F		
पुरुष	M		
भुगतान	कोड सं०		
नकद	01		
किश्त	02		
आरक्षण श्रेणी	कोड सं०		
अनुसूचित जाति	01		
अनुसूचित जनजाति	02		
अन्य पिछड़ा वर्ग	03		
अनारक्षित (सामान्य वर्ग)	04		





**योजना के क्रियान्वयन,
निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं**

ई. दिनेश कुमार

मो. न.- 8795810054
अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-9,
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ई. ज्ञानेश्वर प्रसाद

मो. न.- 8795810066
अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-9,
वृन्दावन योजना, लखनऊ

ई. डी0 एन0 पाण्डेय

मो. न.- 8795810488
सहायक अभियन्ता (उपखण्ड हरदोई)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
डी-117/3 व 4, प्रहलादपुरी योजना,
हरदोई

श्री मिर्जा जावेद कदर

मो. न.- 8795811426
सम्पत्ति प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
डी-117/3 व 4, प्रहलादपुरी योजना,
हरदोई






भवन प्रकार -45/75



भूखण्ड का क्षेत्रफल - 75 वर्गमी०
कुर्सी क्षेत्रफल - 45.00 वर्गमी०






भवन प्रकार-18/40



भूखण्ड का क्षेत्रफल - 40.74 वर्गमी0
कुर्सी क्षेत्रफल - 18.53 वर्गमी0





भवन प्रकार-53/127



भूखण्ड का क्षेत्रफल - 127.50 वर्गमी०
कुर्सी क्षेत्रफल - 53.00 वर्गमी०





आवासीय ऋण की सुविधा

आवासीय सम्पत्ति क्रय / निर्माण करने हेतु ऋण की सुविधा निम्नलिखित संस्थाओं आदि द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

1. हाउसिंग डेवेलोपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (एच.डी.एफ.सी.)
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (हाउसिंग फाइनेन्स लि.)
3. पंजाब नेशनल बैंक (आवासीय हाउसिंग फाइनेन्स लि.)
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (हाउसिंग फाइनेन्स)
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक व अन्य वित्तीय संस्थायें
6. बैंक ऑफ इण्डिया
7. अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक





आवेदन -पत्र भरने के लिये निर्देश

आवेदन पर हस्ताक्षर केवल आवेदक ही करें। आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं।

आवेदक केवल भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें।

जैसे - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

आवेदन-पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अंग्रेजी में भरने पर अपेक्षित है कि इस आवेदन-पत्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (BLOCK LETTERS) में भरें हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।

आवेदन-पत्र में भरने के विभिन्न कोड की सूची पृष्ठ संख्या-18 में दी गई है।

अपूर्ण आवेदनों का पंजीकरण आवेदक द्वारा सही सूचना देने के बाद ही किया जायेगा।

एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

नाम व पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक अवश्य छोड़े।

परिषद से भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।

पत्र-व्यवहार का पता बदलने पर परिषद को तुरन्त सूचित कर दें।

आवेदन-पत्र जमा करते समय निम्न विवरण भर लें जिससे भविष्य में पत्र-व्यवहार में सुविधा होगी। कृपया भविष्य में पत्र-व्यवहार के समय, निम्न की फोटो कॉपी अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें।

चरण	फार्म संख्या
1. शहर का नाम	शहर कोड
2. सम्पत्ति प्रकार/श्रेणी	सम्पत्ति कोड
3. योजना का नाम	योजना कोड
4. आवेदक का नाम	: श्री/श्रीमती/कु0		
5. पत्र व्यवहार का पता		
		
6. बैंक का नाम		
7. जमा धनराशि रू0	जमा तिथि





रु. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)

समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....उम्र.....वर्ष.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....

शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूँगा/दूँगी।
3. मेरे यो मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
4. पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी परिषद की वर्तमान में प्रभावी सभी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
5. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर







परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें : 1800-180-5333
(टोल फ्री): 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

मूल्य ₹ 300.00 (286.00+14.00 वैट)